FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

अपीलांट:– बनाम रेस्पोडेन्ट :–

विवेक मीणा, निवासी 6 शंकर विहार, जगतपुरा जयपुर

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बाली) बाली

किस्म मुकदमा RTI APPEAL--135 /2019

R.C.M.S. No. --2019/00

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17-12-19	अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी,बाली), बाली ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 01/01/20 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	
1-1-20	पत्रावली आज पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी (SDO) बाली से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है पुनः स्मरण पत्र लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 15-1-20 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	
15-1-20	पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) RTI Act 2005 के तहत पेश कर वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया गया है। इस न्यायालय द्वारा लोक सूचना अधिकारी को लिखा गया तो उन्होंने अपने पत्रांक स.सो.सू.अ./2019/1388 दिनांक 20-12-2019 के मार्फत कार्यालय अधिकारी अपीलांट में वांछित सूचना प्रश्नात्मक प्रकृति की होने के कारण प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए उसकी सूचना प्रेषित की गई। अपी० को प्रेषित पत्र की फोटो प्रति भी प्रेषित की है। ऐसी स्थिति में इस अपील में किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं रही जाती है इस लिए अपील निरस्त की जाती है। पत्रावली शुमार फैसल की जाकर नियमानुसार रखी हो। जिला कलेक्टर, पाली	

जिला कलेक्टर, पाली